THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) and (b) The Government has rescinded the Deep Sea Fishing Policy of 1991 under which operation of deep sea fishing vessels were allowed under joint venture, lease and test fishing.

(c) and (d) Action has been initiated for formulation of a new deep sea fishing policy. The Indian owned deep sea fishing vessels are being allowed to operate in the existing areas as per the recommendation of the Review Committee on deep sea fishing policy. The Govt. has also approved a rehabilitation package for Indian owned deep sea fishing vessels.

Prohibiting fishing by foreign companies of the Maharashtra coast

1331. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government had received a communication sometime during the last quarter of 1996, requesting for prohibiting fishing by foreign companies off the Maharashtra coast;

(b) if so, the action taken by Government thereon; and

(c) if no action has been taken so far the reasons therefor and by when the same is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) Communications were received for prohibiting deep sea fishing off the Coast of Maharashtra during the monsoon season, on the same lines as had been done in respect of the Kerala Coast.

(b) and (c) The Government had banned fishing by deep sea fishing vessels in the EEZ off the coast of Maharashtra from 31st July, 1996 upto 28th August, 1996, corresponding with the ban imposed by Maharashtra Government during the same period for mechanised fishing trawlers in coastal areas.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

1332. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न अंचलों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्र जिला-वार और राज्य-वार कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) उनकी औसत वार्षिक क्षमता कितनी है;

(घ) अब तक उद्योगों की स्थापना करने हेतु कितने व्यक्तियों को वर्ष-वार प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ङ) उपरोक्त में से प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन में अनुमानत: कितना वार्षिक खर्च होता है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) और (ख) मंत्रालय की योजना स्कीम के तहत राज्य सरकार के संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों सहकारिताओं आदि को खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में ऐसे 204 केन्द्रों की स्थापना करने हेतु सहायता दी गई है। स्थान के उल्लेख सहित केन्द्रों की सूची संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ग) प्रशिक्षण केन्द्र बैचों में प्रशिक्षण देते हैं और बैचों की संख्या तथा प्रत्येक बैच में प्रशिक्षुओं की संख्या प्रसंस्करण हेतु प्रस्तावित उत्पादों के प्रकार पर निर्भर करने के कारण अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होती है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे 2000 से अधिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

(ङ) हमारी स्कीम के अनुसार, संयंत्र और मशीनरी की खरीद हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों को एक/बहु उत्पाद तैयार करने के लिए क्रमशः 2.00/7.05 लाख रु० का एक मुश्त अनुदान और मूल पूंजी के रूप में एक/दो लाख रु० की सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी. एफ.टी.आर.आई.) मैसूर या अन्य किसी अनुमोदित संस्थान में से किसी में भी प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रत्येक खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र का

उनके द्वारा खर्च की गई वास्तविक राशि को ध्यान में रखते हुए 50000 रु० तक की सहायता भी उपलब्ध है।

विवरण

वर्ष 1992-93, 93-94, 94-95 एवं 95-96 के दौरान सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशि-क्षण केन्द्रों की संख्या	स्थान जहां खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थित हैं
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	रालोवारम् जिला कृष्णा (आंध्र प्रदेश)
2.	आसाम	21	यलवारी (गुवाहाटी), नागांव, जोरहाट, सिबसेगूर, तिनसुकिया, सिलचर, कोकराझार, मंगलाईई, बोण्डा, चंद्रपुर, बगियाना, तेजपुर, जगी, तपालपुर, धिंग, रंगल्या, डुबरी, हाउली, बेलटोला (गुवाहाटी), मजगांव जिला, टोपाटोली सोनापुर, चमाटी, चमाटा
3.	अरूणाचल प्रदेश	2	पश्चिम सियांग जिला, ट्रायमुख
4.	बिहार	19	पटना-3, रांची, अंगारा, गुमला-2, गोरारा, तोरपा-2, दुमका, साहिबगंज, लुम्बई, वाराडवारी, चांडिल, धण्डारा, चक्रधरपुर, आसनसोल, देवधर
5.	दिल्ली	2	दिल्ली कैंट, बुराड़ी गांव (दिल्ली)
6.	गोवा	1	गोवा के.वी.आर. बोर्ड
7.	गुजरात	3	गादेवी, जूनागढ़, बारदोली
8.	हरियाणा	9	करनाल-2, मुरथल, अम्बाला, सिरसा, नारनौल, सोनीपत, गुड़गांव-2
9.	हिमाचल प्रदेश	5	शोगी, कटराइल, कलपा, बुन्टेर, शिमला हिल्स
10.	जम्मू एवं काश्मीर	7	कथुआ, कुपवाड़ा, पुलवामा, राजौरी अनन्तनाग, श्रीनगर-2
11.	कनार्टक	10	बेलगांव-3, बिडार, हब्बल, जुलकोटी, अराभयी, गुलबर्ग, गोनीकोपल, मुडीगार
12.	केरल	5	वेलयानी, वेलानीकारा, चंगनचेरी, कन्नूर, नरीकूनी
13.	महाराष्ट्र	3	धानू नासिक, वर्धा
14.	मध्य प्रदेश	5	भोपाल, जबलपुर-3, सतपुड़ा
15.	मणिपुर	1	पोरोमपट
16.	मिजोरम	7	आइजोल, साइरंग, वाइरेंगटा, कावजाल, चिंगचिप, लुंगलेई, लान-गुलाई

1	2	3	4
17.	मेघालय	1	शिलांग
18.	नागालैंड	2	कोहिमा, दीमापुर
19.	उड़ीसा	33	नयागढ़-2, केन्द्रपारा जिला, गजपति, लक्ष्मीपुर, पोनचड़ा, टंगरपाली, गांधीनगर, तिकरपाडे, कालाहांडी, काशीहरपुर, तसरगोबिंदपुर, सुंदरगढ़, कोएंझार, टोयापुर, ओडियापेन्ट, आश्रयगढ़, भुजानी, मुनिडा, पानपोश, डेंकनाल, सिगमापुर, वालागीर, वालासोर, कटक, पुरी-2, गंजम, सम्बलपुर, सनकुमारी, देवीद्वार, महिमागढ़ी
20.	पंजाब	2	चोनीकल्ला (जिला होशियारपुर), पटियाला
21.	राजस्थान	2	जयसमंद, उदयपुर
22.	तमिलनाडु	13	तिरूपतूर (तमिलनाडु) मद्रास, थिरूचेनगूड्डू, मदुरै-2, समाथुवापुरम, पलानीअप्पानगर, वालुथारेड्डी, त्रिची वलिंगटन, डमाच्चिकुलम, चेंगई (एम.जी.आर. जिला) सिवा गंगई
23.	त्रिपुरा	2	अगरतला-2
24.	उत्तर प्रदेश	38	रामनगर, रामगढ़, देवरिया, सुल्तानपुर, इलिया, मथूपुर, अमेठी-2, हलद्वानी, गाजीपुर, हरदोई, इलाहाबाद-3, लखनऊ-5, मेरठ, सहारनपुर, चैल, सहारनपुर, फैजाबाद-2, गोरखपुर, बस्ती, बरेली, सीतापुर, औतारपुर, लैंसडाउन, रानीखेत, फतेहगढ़, दहोइला, मऊ, अशोकपुर, फाफामऊ मांव, सोनभद्र, लालगोपालगंज गांव।
25.	पश्चिम बंगाल	10	बरूईपुर, माल्दा-2, हावड़ा, वर्धवान, उत्तर-24 परगना, झारग्राम, बेलपथरी, दक्षिणी 24 परगना, इचापुर
		204	

Revival of sick deepa-sea filshing vessels

1333. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) what specific steps Government propose to take during 1997-98, to assist the sick India-owned fishing vessels in Vishakhapatnam;

(b) whether it is a fact that Government have ignored this sector; and

(c) if so, the steps proposed to be taken to revive such sick deep-sea fishing vessels during 1997-98?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) to (c) A Technical Committee, headed by Shri P Murari, former Secretary to the Government of India, was appointed by the Government to suggest corrective measures for revival of sick deep sea fishing units. The